

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित
किया दिनांक 20/11/22 को पेश हो।

20/11/22

नीर

काठ यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वसील अनुपास्थित।
प्रतिवादी अनुपास्थित। बार-बार कावाड लगवाने के लिए प्रयास किया।
वादी एवं पक्षकारानु के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अनु प्रकरण काठ दायरी एवं अनु पंखी के खारिज किया जा रहा है। पत्रावली अनु पंखी में फॉर्मल शुमार लेकर रजिस्टर में कम भी जाँच।
बाद फॉर्मल दायरेल प्रकर है।

500